प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **68/2025** (अपील सूचना का अधिकार)

Mangal Shah Add: B-15, Sangam Tower old rto road, Gandhi Nagar, Bhilwara, Raj.

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 18/06/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329870138500978 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 08.04.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना न देने, अपूर्ण/भ्रामक सूचना दिये जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 3828835332 दिनांक 05.05.2025 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/68/25/460–61 दिनांक 05.05.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकार एवं तहसीलदार गिर्वा द्वारा जरिये पत्रांक भू.अ./सू.अ./2005/प्र.अ.स./68/25/828 दिनांक 13.06.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत अपील संख्या 10/25 निर्णय दिनांक 10.03.2025 में प्रकरण से संबंधित समस्त वांछित सूचना/दस्तावेज इस कार्यालय के पत्रांक 221 दिनांक 03.03.2025 को रजिस्टर्ड डाक के receipt no. RR397484174IN date 05.03.2025 से भिजवायी गई है, जिस पर दिनांक 07.03.2025 को यह नोट अंकित किया कि सूचना प्राप्तकर्ता की मृत्यु हो गई है। इस कार्यालय से सूचना भिजवा दी गई थी किन्तु प्रार्थी को नहीं मिलने से पुनः उक्त अपील दायर की गई है। प्रार्थी को पुनः वांछित सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार पत्रांक 826 दिनांक 12.06.2025 द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। अतः निवेदन है कि उक्त प्रकरण निरस्त करने का आदेश फरमावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गिर्वा द्वारा अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 221 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्रांक 826 दिनांक 12.06.2025 से सूचना प्रेषित की जा चुकी है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गिर्वा द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित जवाब/सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गयी है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब/सूचना से संतुष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18-06-25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर